


शिक्षा का अधिकार- प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान सत्र 2019-20 द्वितीय चरण



क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर									
1	किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है।	<p>आयु के संबंध में निम्नानुसार पात्रता होगी</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कं</th> <th>प्रवेश आवेदन की कक्षा</th> <th>न्यूनतम आयु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2</td> <td>न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष के मध्य</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>आयु की गणना 16 जून 2019 की स्थिति में की जावेगी।</p>	कं	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु	1	नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष के मध्य	2	कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।	
कं	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु									
1	नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष के मध्य									
2	कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।										
2	द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु क्या नवीन आवेदक आवेदन कर सकते हैं।	<p>नहीं। जिन आवेदको द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया गया है एवं मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये हैं वही द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। निम्न आवेदको को द्वितीय चरण की पात्रता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- जिन आवेदको को प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है। 2- जिन आवेदको को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दर्ज आवेदन की पावती में यदि प्रथम प्राथमिकता को छोड़कर अन्य कोई प्राथमिकता का स्कूल आवंटित हुआ था एवं उनके द्वारा स्कूल में जाकर एडमिशन रिपोर्टिंग नहीं कराई है। 									
3	मुझे प्रथम चरण में मेरे द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन सत्र 2019-20 में प्रथम प्राथमिकता का स्कूल आवंटित हुआ था परन्तु मेने इस स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है तो क्या पुनः द्वितीय चरण हेतु आवेदन में च्वाइस भर सकता हूँ।	<p>नहीं। चूँकि आवेदक को उसके द्वारा भरे गये आवेदन अनुसार प्रथम च्वाइस का ही स्कूल आवंटित हुआ था। अतः अन्य बच्चे जिन्हें कोई भी स्कूल आवंटित नहीं हुआ है उनको स्कूल आवंटन का अवसर प्रदान किया जायेगा।</p>									
4	मुझे प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ है तो क्या द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु मुझे दोबारा फार्म अपडेट करने पर ही स्कूल आवंटन होगा।	<p>हाँ। द्वितीय चरण हेतु स्कूल की च्वाइस अपडेट करना अनिवार्य है। यदि आवेदक चाहे तो स्कूलों का प्राथमिकता कम अथवा स्कूल की च्वाइस कम या ज्यादा कर सकते हैं।</p>									

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
5	क्या पुनः दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा।	नहीं। पुनः दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
6	प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी	1-द्वितीय चरण में लॉटरी के माध्यम से यदि स्कूल आवंटित होता है तो आवंटन के पश्चात एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान की जायेगी। 2- ऑनलाइन लॉटरी में यदि स्कूल आवंटित होता है तो आवंटन के पश्चात पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। 3- इसके पश्चात सीधे स्कूल में प्रवेश लिया जा सकेगा। प्रवेश लेने के पूर्व निर्देश के अनुसार पात्रता की पुष्टि स्वयं कर लें।
7	ऑनलाइन आवेदन में च्वाइस अपडेट करने के बाद क्या फार्म कही जमा करना है।	नहीं।
8	यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहा से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।	किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने बीआरसी कार्यालय/जिला शिक्षा केन्द्र/जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर भी संपर्क करें नंबर पर दर्ज नंबर पर संपर्क कर मदद प्राप्त की जा सकती है।